राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1884/2010/भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बी, भरतपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स डी.आर.ऑयल इण्डस्ट्रीज,
भरतपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
ईश्वरी लाल वर्मा – सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह, ...अपीलार्थी की ओर से
उप राजकीय अधिवक्ता

श्री ओ.पी.गुप्ता
अधिकृत अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक 23/07/2015

निर्णय

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, भरतपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.3.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी फर्म तेल निर्माण का कार्य करती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि 2001–2002 का निर्धारण आदेश दिनांक 11.02.2004 को पारित किया गया था जिसमें वक्त कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी फर्म को तिलहन की खरीद पर अधिसूचना संख्या एफ–4(30)एफ.डी.टैक्स/डिवी/2002/186 दिनांक 22.03.2002 के तहत रूपये 12,486/– का सैट ऑफ दिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 37 अपेक्षित होना मानकर दिनांक 27.09.2005 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी फर्म को नियम 48 के तहत कारण बताओं नोटिस इस आशय का भेजा गया कि आपकी फर्म का वर्ष 2001–2002 के कर निर्धारण आदेश का महालेखाकार जयपुर द्वारा ऑडिट किया गया जिसमें उन्होंने एतराज लगाया गया कि सीएसटी में रू0 12,486/– का लिखा गया सेट ऑफ गलत है। चूँकि व्यवसायी द्वारा सीएसटी में तेल की बिक्री पर सेट ऑफ लिया गया है जबकि सेट ऑफ दिनांक 22.03.2002 के बाद खरीदी गई सरसो पर मिलता है। अतः क्यों न सेट ऑफ को ब्याज सहित वसूल किया जावे। जिसका जवाब व्यवहारी फर्म द्वारा दिया गया तथा जवाब में वर्णित किया गया कि वर्ष 2001–02

23-7-2015

लगातार.....2

का कर निर्धारण बही खातों की जॉच कर पारित किया गया था। इस कारण रेकार्ड की भूल नहीं है।अतः धारा 37 के तहत प्रकरण संशोधन योग्य नहीं है तथा तर्क दिया गया कि अधिसूचना संख्या एफ–4(30)एफ.डी.टैक्स/डिवी/2002/186 दिनांक 22.03.2002 के द्वारा फर्म को आंशिक छूट अर्थात अन्तर्राज्यीय विक्रय के संबंध में 1 प्रतिशत सेट ऑफ लेने के लिए हकदार है लेकिन उक्त तर्को पर मनन कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.10.2005 में लिखा है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व खरीद किये गये सरसों पर प्रस्तुत बिलों के आधार पर रू0 12,486/– का सेट ऑफ स्वीकृत किया गया जो कि रेकार्ड की स्पष्ट भूल है। अतः धारा 37 के तहत संशोधन योग्य होने से दिनांक 22.03.2002 से पूर्व खरीदी गई सरसों पर रू0 12,486/– का सेट ऑफ अस्वीकृत किया जाता है तथा आदेश में आगे लिखा है कि व्यवहारी फर्म द्वारा स्वीकृत किये गये सेट ऑफ की राशि रू0 12,486/– एवं इसको जमा नहीं कराने पर रा.वि.क.अधि. की धारा 58 के तहत रू0 6,992/– ब्याज आरोपित किया जाता है। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी फर्म द्वारा, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.03.2010 द्वारा प्रत्यर्थी फर्म की अपील स्वीकार कर ली गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, कर निर्धारण अधिकारी (विभाग) द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म को विरूद्ध जो मांग कायम की गई है वह सही है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2005 को यथावत रखते हुए, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जावे।

4. प्रत्यर्थी फर्म की ओर से विद्धान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक 11.02.2004 को जो सरसों की खरीद पर रू0 12,486/–का सैट ऑफ दिया गया था वह सही दिया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने महालेखाकार की गलत ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर संशोधित कर दिनांक 17.10.2005 को जो शास्ति निर्धारण आदेश पारित किया गया वह कानून के विरूद्ध जाकर पारित किया गया हैं उन्होंने यह भी तर्क दिया कि महालेखाकार की रिपोर्ट रेक्टीफिकेशन का आधार नहीं हो सकती है तथा न ही विभाग ने कोई रिव्यू का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा न ही ऐसी कोई गलती है जो कि रेकार्ड को देखने से स्पष्ट प्रतीत होती हो तथा अपीलीय अधिकारी ने अपने स्वस्थ मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करते हुए व्यवहारी फर्म की अपील स्वीकार की है जो आदेश दिनांक 10.03.2010 को सही पारित किया गया है। अतः विभाग की अपील खारिज की

लगातार.....3

23.7.2015

जावे। व्यवहारी फर्म के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त टैक्स अपडेट वोल्यूम–29 पार्ट–7 पेज 253 स.वा.क.अधि. बनाम मै0 मक्कड़ प्लास्टिक(सु.कों.) निर्णय दिनांक 29.03.2011 व वोल्यूम 93 एस.टी.सी.1994 वा.क. अधि. बनाम डिप्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स पश्चिमी रेल्वे (राज.हा.को.) मै0 राजेन्द्र फुटवियर कम्पनी बनाम सहायक आयुक्त,सीकर (राज.हा.कों.) टैक्स अपडेट वोल्यूम 20 पार्ट–3 पेज 114 निर्णय दिनांक 6.7.2007 तथा टैक्स अपडेट वोल्यूम 18 पार्ट–3 पेज 123 स.वा.क.अधि.टोंक बनाम मै0 शर्मा आरा मशीन, टोंक (राज.क.बो.) आदेश दिनांक 22.03.2007 पेश किये।

5. हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया, व्यवहारी फर्म के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी फर्म द्वारा दिनांक 21.03.2002 को शेष स्टॉक सरसों सीड व दिनांक 22.03.2202 से 31.03.2002 के दौरान खरीद किये गये सरसो सीड पर 1 प्रतिशत से अधिक चुकाये गये कर क्रमशः रू0 44,094/– एवं रू0 54,863/– कुल रू0 98,957/– में रू0 49,479/– का सेट ऑफ क्लेम किया गया था जिसमें से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2002 से 31.03.2002 के दौरान खरीद की गई सरसों सीड पर 1 प्रतिशत से अधिक चुकाये गये कर रू0 27,431/– के विरूद्ध रू0 12,486/–का सैट ऑफ दिनांक 22.03.2002 से 31.03.2002 के दौरान अन्तर्राज्यीय विक्रय के अनुपात में स्वीकार किया गया था जो बिलकुल सही था। दिनांक 22.03.2002 से पूर्व खरीद की गई सरसों पर कोई सेट ऑफ नहीं दिया गया था। इस कारण विद्वान अपीलीय अधिकारी ने माना कि चैतन्य मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए व्यवहारी को सेट ऑफ स्वीकार किया गया था जिस ऑडिट एतराज पर राज.वि.अधि. की धारा 37 के तहत रेकार्ड की भूल की श्रेणी में नहीं आने के कारण मूल आदेश में संशोधन नहीं किया जा सकता है। कर निर्धारण आदेश द्वारा अपने स्तर पर लिपिकीय गणना की भूल/विधिक गलती रेकार्ड पर सिद्ध नहीं की गई है जो कि माननीय न्यायालयों के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में रा.वि.क. अधि. की धारा 37 की परिधि में नहीं आती है। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज को अपास्त कर, व्यवहारी फर्म की अपील को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अपीलीय अधिकारी ने नहीं की है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई तथ्यों की या विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है तथा व्यवहारी को कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 11.02.2004 के आदेश द्वारा जो रू0 12,486/– का सेट ऑफ दिया गया है वह सेट ऑफ दिनांक 22.3.2002 से दिनांक 31.03.2002 के दौरान अन्तर्राज्यीय बिक्री कर के अनुपात में अधिसूचना

लगातार.....4

23-7-2015

अनुसार स्वीकार किया गया है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है उसका बल भी व्यवहारी फर्म को मिलता है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.03.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

23.7.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य